Success Story No. 3

प्री–लीटिगेशन – पारिवारिक वाद

(जनपद पौड़ी गढ़वाल)

दिनांक 3 अप्रैल 2017 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौडी के पराविधिक स्वंयसेवी श्री राजेन्द्र कुमार थपलियाल निवासी श्रीकोट विकास खण्ड़ पाबों पौडी गढवाल, एक महिला को लेकर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौडी के समक्ष उपस्थित हुये। उनके द्वारा यह बात रखी गयी कि उक्त महिला लगभग 6–7 महीनों से अपने मायके में रह रही है। सचिव द्वारा उक्त महिला से पूछताछ करने पर महिला के द्वारा बताया गया कि वर्ष 2012 में उसका विवाह श्री बिशन सिंह रावत निवासी बुरसोली पट्टी मावलस्यूं विकास खण्ड़ एकेश्वर के साथ हुआ था, किन्तु विवाह के कुछ समय पश्चात् ही पति व सास का व्यवहार उनके प्रति खराब रहा है और वह अपने पति के साथ जाना चाहती है तथा वह अपने पति से अपना हक चाहती है क्योंकि उनकी एक छोटी बच्ची भी है और वह अपने प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करना चाहती है।

महिला की ओर से उक्त पराविधिक स्वंयसेवी द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांकित 08/04/2017 के लिए सुलह–समझौते हेतु विपक्षी को नोटिस प्रेषित किया गया।

दिनांक 08/04/2017 को राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन दोनो ही पक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौडी में सचिव के समक्ष उपस्थित हुये। प्राधिकरण के सचिव द्वारा दोनो पति–पत्नी को अपने चैम्बर में बिठाया गया व अन्य तृतीय पक्षों जैसे महिला के माता व भाई को बाहर अलग रखा गया व एक–एक कर दोनो पक्षों से उनकी समस्याएं जानी व समझी गयी।

प्रार्थिनी/महिला के द्वारा अपना यह पक्ष रखा गया कि उसका पति अर्थात् विपक्षी गुडगांव में प्राइवेट नौकरी करता हैं और वह ससुराल में अपनी सास के साथ रहती थी, उनकी एक छोटी बच्ची भी है गांव में उसकी सास का उसके प्रति व्यवहार खराब है और उसका पति अर्थात् विपक्षी उसकी तथा बच्ची की कोई परवाह नही करता है। वह विगत 6–7 महिनों से मायके में रहती है और उसके पति ने इस दौरान उनके साथ कोई सम्पर्क नही किया।

इस पर विपक्षी ने अपना पक्ष रखते हुये बताया कि वह अपनी माता का इकलौता पुत्र है व बहनों का विवाह हो चुका है उसके पिता नही है और व एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी गुड़गांव में करता है। उसकी आय के श्रोत इतने नहीं हैं कि वह अपनी पत्नी, बच्चों व माता को

गुड़गांव ले जाये, जिस कारण वह अपनी पत्नी, बच्ची व माता को गांव में रखे हुये है किन्तु उसकी पत्नी, विधवा माता के साथ लड़ती–झगड़ती रहती हैं। वह माता को गांव में छोड़कर पत्नी व बच्ची को गुड़गांव नही ले जा सकता है। वह अपनी विधवा माता को इस उम्र में गांव में अकेले नही छोड़ सकता है किन्तु प्रार्थिनी इस तथ्य को नही समझती है और अपनी माता व गांव के अन्य महिलाओं के बहकावे में रहती है। प्रार्थिनी उसकी माता को गांव में छोड़कर बिना उसे बताये 6–7 महीनों पहले मायके चली गयी, ऐसा वह अनेक बार कर चुकी हैं और पूर्व में भी अपने कृत्य के लिए कई बार माफी मांग चुकी है व लिखित समझौता कर चुकी है किन्तु अब वह प्रार्थिनी की बातो पर भरोसा करने की स्थिति में नहीं है।

उभयपक्ष के आरोप व प्रत्यारोपों के क्रम में प्राधिकरण के सचिव द्वारा विवाह के सामाजिक व नैतिक मूल्यों को समझाते हुये उनसे बात की गयी व छोटी बच्ची के भविष्य के बारे में दोनों पति–पत्नी के बीच चल रही कड़वाहट के आलोक में सोचने के लिए कहा गया, दोनों पति–पत्नी को उनके नैतिक व सामाजिक दायित्वों के बारे में भी अवगत कराया गया। दोनो पक्षों को यह भी अवगत कराया गया कि पति–पत्नी अपनी बातों में अड़े रहेगें और न्यायालय के माध्यम से अपने मामले का निस्तारण चाहेगें तो ऐसे में समय एवं धन की बर्बादी होगी तथा यह आर्थिक, सामाजिक व मानसिक प्रताड़ना को जन्म देगा। जिससे दोनों के मध्य जीवन में कभी भी एक होने की सम्भावना धूमिल हो सकती है तथा नवजात शिशु के जीवन में भी पति–पत्नी की इस तनातनी का निश्चित रूप से कुप्रभाव पड़ेगा।

दोनों पक्षों को हर पहलू से अवगत कराने उपरान्त् उभयपक्ष को एकान्त में आपस में बात–चीत करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया। तत्पश्चात् दोनों ही पक्षों को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु गठित पीठ, जिसमें पीठासीन अधिकारी श्री मिथिलेश पाण्ड़ेय एंव सदस्य/अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह रावत के समक्ष भेजा गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष दोनों पक्षों में यह राजीनाम हो गया कि प्रथम पक्ष श्रीमती निशा रावत द्वितीय पक्ष श्री बिशन सिंह रावत के साथ अपने ससुराल स्वेच्छा से जाने को सहमत है तथा प्रथम पक्ष श्रीमती निशा रावत एंव द्वितीय पक्ष श्री बिशन सिंह रावत के बीच अब कोई मनमुटाव शेष नही रहा है और पति–पत्नी आज की तिथि के बाद शांतिपूर्वक रहेगें।

इस प्रकार न्यायालय जाने से पूर्व ही एक वैवाहिक प्रकरण को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल के सुलह–समझौते के प्रयास से आज नियत राष्ट्रीय लोक अदालत में सफलतापूर्वक निस्तारित किया गया और उपरोक्त वर्णित पति–पत्नी अपने नवजात शिशु सहित खुशी–खुशी से व उज्जवल भविष्य के सपनो के साथ एक नया जीवन पुनः प्रारम्भ करने के उद्देश्य से अपने घर चले गये।